-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R-8-I-17

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015 जिला जबलपुर

भावसिंह गौंड़ उम्र 56 वर्ष आ0 स्व0 श्री घन्सू गौंड
निवासी ग्राम डून्डा घुन्सौर जिला सिवनी म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

1— श्री नरेन्द्र अग्रवाल उम्र 48 वर्ष आ0 छोटेलाल अग्रवाल
निवासी 121 जयनगर, विवेकानंद वार्ड
तहसील व जिला जबलपुर
2— म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ----- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 31.12.16 को प्रस्तुत
31-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 101/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 2–5–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।

31/12/16

913
31-12-16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिछाई नं.बं. 415 प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 281/2 रकबा 0.78.. हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के नाम से ग्राम डूडां में जीवन निर्वाह हेतु पर्यापत भूमि है । भूमि से कोई लाभ प्राप्त न होने तथा आवेदक को परिवार की निजी जरूरतों की पूर्ति हेतु विक्रय

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 08-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 101/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 2-5-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिछाई नं. बं. 415 प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 281/2 रकबा 0.780 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी	

R-8 I/17 (सिवनी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक के पास लगभग 22 एकड़ भूमि है, जिससे वह अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । यह भी आधार लिया गया है कि कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि संशोधित किए जाने का आदेश 18-6-12 को हुआ है और मात्र डेढ़ वर्ष उपरांत गैर आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय किए जाने का अनुबंध किया गया है । कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि भूमि पर नाम दर्ज होने के डेढ़ वर्ष उपरांत भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता, विधिसम्मत नहीं है । यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत नहीं है कि आवेदक के पास 22 एकड़ भूमि है इस कारण वह उक्त भूमि से प्राप्त आय ससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि क्रेता द्वारा वर्तमान गाइड लाइन से अधिक मूल्य होना दिया जा रहा है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । परिणामतः यह	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 08-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02-5-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिछाई नं. बं. 415 प.ह.नं. 57/93 रा. नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 281/2 रकबा 0.780 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक - 1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	